(13)

# न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

## समक्ष

## एम0के0सिंह

## सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 895–तीन/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2004 –पारित व्दारा –सदस्य,राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर – प्रकरण कमांक 1040–दो/2003

महिला शकुन्तला पुत्री बारेलाल
निवासी बसंतपुर तहसील लौड़ी
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदिका

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर छतरपुर
2– रामआसरे पुत्र रामनाथ अहिरवार
3– बल्दू पुत्र रामनाथ अहिरवार
दोनों निवासी ग्राम बसंतपुर तहसील लौड़ी
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

(अनावेदक क–1 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

## आ दे श

(आज दिनांक 4–1 – 2016 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य,राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1040–दो/2003में पारित आदेश दिनांक 30–6–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार चन्दला ने प्रकरण कमांक 12 अ–19/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 30–6–1998 से आवेदिका के हित में ग्राम बसंतपुर स्थित भूमि

सर्वे क्रमांक 300/1/3 रकबा 1.000 हैक्टर, 301/5 रकबा 0.571 हैक्टर, 303/2 रकबा 0.429 हैक्टर भूमि का पटटा भूमिस्वामी स्वत्व पर प्रदान किया। ग्राम के पटैल आनंदीलाल ने नायव तहसीलदार को अवगत कराया गया कि आवेदिका का पति शिक्षक है इसलिये उसे गलत ढंग से पटटा प्रदान हुआ है - नायव तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिनांक 24-5-2000 अनुविभागीय अधिकारी लॉझी/गौरिहार को प्रस्तुत कर प्रकरण क्रमांक 12 अ-19/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 30-6-1998 के पुनरावलोकन की अनुमति मॉगी, जो अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-6-2000 से प्रदान की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 173/अ-19/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-6-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध सदस्य,राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर के समक्ष निगरानी क्रमांक 1040-दो/2003 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30-6-2004 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि राजस्व मण्डल को भूमि बन्टन के प्रकरणों में सुनवाई के अधिकार नहीं है। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनरावलोकन में दर्शाए गए आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि भूमि आवंटन के विरूद्ध अपील/निगरानी श्रवण करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर ने सक्षम होना बताया है जिसके आधार पर विचाराधीन निगरानी सुने जाने योग्य है। नायव तहसीलदार चन्दला के प्रकरण क्रमांक 12 अ-19/1997-98 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने पारित आदेश दिनांक 30-6-1998 से आवेदिका कों ग्राम बसंतपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 300/1/3 रकबा 1.000 हैक्टर, 301/5 रकबा 0.571

हैक्टर, 303/2 रकबा 0.429 हैक्टर भूमि का पटटा भूमिस्वामी स्वत्व पर प्रदान किया है एंव ग्राम के पटैल आनंदीलाल द्वारा नायव तहसीलदार को शिकायत की है कि आवेदिका का पति शिक्षक है इसलिये उसे गलत ढंग से पटटा प्रदान हुआ हैं। नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-6-1998 से आवेदिका को पटटा प्रदान किया है और इस आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी का प्रावधान है तब पटैल आनंदीलाल इस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता था किन्तु उसके व्दारा बैधानिक प्रकिया न अपनाते हुये गलत ढंग से शिकायत की है और इसी शिकायत के आधार पर नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-6-1998 के पुनरावलोकन हेतु अनुमति प्रतिवेदन दिनांक 24-5-2000 यानि 01 वर्ष 11 माह के अन्तर से प्रस्ताव दिया है जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोकन अनुमति दिनांक 30-6-2000 जारी की है। विचार योग्य है कि क्या किसी शासकीय सेवक की पत्नि को कृषि कार्य करने से रोका जा सकता है - प्रत्येक नागरिक अपना कार्य (व्यवसाय) करने के स्वतंत्र है चाहे वह शासकीय सेवक का परिजन हो अथवा अन्य - जबकि नायव तहसीलदार ने आवेदिका की पात्रता निर्धारित कर एंव पात्र पाये जाने से भूमि का आवंटन किया है जिसे निरस्त करने हेतु पुनरावलोकन की अनुमति का प्रस्ताव भेजने में त्रृटि की गई है एंव अनुविभागीय अधिकारी लॉझी/गौरिहार ने आदेश दिनांक 30-6-2000 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान करने में भी भूल की है ।

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा -51- किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार सम्बंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जायेगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुर्नविलोकन के लिये कोई आवेदन तब ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर न किया गया हो।

विचाराधीन प्रकरण में पटैल आनंदीलाल ने नायव तहसीलदार को शिकायत करने पर 01 वर्ष 11 माह के अन्तर से पुनरावलोकन

विचारित किया है जो अवधि-वाधित है, परन्तु इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने एवं आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 6.6.2003 पारित करते समय गौर न करने की भूल की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1040-दो/2003 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2004 एवं आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 173/अ-19/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6.6. 2003 तथा अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी/गौरिहार द्वारा प्रकरण कमांक 113/1999-2000 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 30.6.2000 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिमाणातः नायव तहसीलदार चन्दला द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ-19/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 30.6.1998 स्थिर रहता है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर